बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633 / 2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 17 | दिनांक 27-8-2019

सेवा में,

निबंधक महानिरीक्षक,
बिहार सरकार।

विषय :– **बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के bye Laws में संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–25.12.2011 के आम सभा में निम्न संशोधन किये गये हैं :–

1. Bye Laws के कंडिका–3(b) के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी का गठन एक वर्ष के लिए होना है। पूर्व में कोई भी आम सभा एक वर्ष में नहीं हुई है। ऐसे भी किसी भी कार्यकारिणी के लिए एक वर्ष का समय बहुत कम होता है। इस परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा दिनांक–26.12.2010 की बैठक में कंडिका–8 में यह निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी जाय।

2. Bye Laws के कंडिका–5 (a) एवं (b) के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी की संख्या 27 के अतिरिक्त 5 (c) के अनुसार सभी अनुमंडल / जिला / प्रमण्डल इकाई के अध्यक्ष / सचिव पदेन सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित के रूप में अनके सदस्य को मनोनीत किया जाता है, परंतु सूचना निर्गत होने के बाद भी कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थिति पूर्व के वर्षों से लगातार मात्र 10–15 तक ही हो पाती है। इसके उपस्थिति अधिक होने के लिए कार्यकारिणी की बैठक दिनांक–16.10.2011 की कंडिका–2 में यह निर्णय लिया गया कि पटना मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी को आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाय।

अतः अनुरोध है कि BASA Bye Laws में उपरोक्त संशोधन अंकित की जाय।

<u>अनुलग्नक</u> :–
(i) दिनांक–26.12.2010 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक की कार्यवाही की प्रति।
(ii) दिनांक–16.10.2011 को हुई केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक की कार्यवाही।
(iii) दिनांक–25.12.2011 को आम सभा में प्रस्तावित प्रति।
(iv) दिनांक–12.08.2018 को को हुई केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक की कार्यवाही।

खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
महासचिव

सुशील कुमार
अध्यक्ष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना- 800 001
(पंजीयन सं०-633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

दिनांक 4/1/11

पत्रांक : 01

अध्यक्ष (का०)
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139
(O) 0612-2217696

+++

उपाध्यक्ष
* मो० एखलाक् अहमद
(M) 9934280177

+++

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव
* राजचन्द्र बडियार
(M) 9431093157

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

दिनांक 26.12.10 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की हुई बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

2. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन के उपरान्त संघ के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी को जो समस्याये हो रही है उस पर उपस्थित सदस्यों ने अपने–अपने मत प्रगट किया। यह बात उभर कर सामने आयी की वेसिक ग्रेड के पदाधिकारी को सबसे अधिक संशाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रोन्नति में Stagnation व अन्य कठनाईयों पर सुधार की आवश्यकता है। इस संदर्भ में संघ द्वारा एक ज्ञापन दिनांक 16.12.10 को प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन को दिया गया है। पुनर्गठन से उत्पन्न अन्य समस्याओं को ठोस रूप से सरकार के समक्ष रखने हेतु श्री रघुनाथ प्रसाद निदेशक, भू–अर्जन पुर्नवास जल संसाधन विभाग, की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन किया गया, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :–

श्री रमेश प्रसाद	ए०डी०एम०, विधि व्यस्था पटना।
श्री शाह नवाज खॉ,	उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना।
श्री अशोक कुमार सिंह,	आप्त सचिव, मंत्री अल्प संख्यक कल्याण एवं सूचना प्रवैधिकी विभाग पटना।
श्री श्याम किशोर,	सचिव, सोन कमान्ड, पटना।
श्री सुधीर कुमार,	वरीय उप समाहर्त्ता, पटना।
श्री मनोज कुमार,	वरीय उप समाहर्त्ता, पटना।
श्री निरंजन कुमार,	विशेष कार्य प्रदाधिकारी, श्रम संसाधन, विभाग, पटना।
श्री सत्यप्रकाश,	विशेष कार्य प्रदाधिकारी, मानव संसाधन विभाग, पटना। सदस्य रहेंगे।

कमिटि का यह दायित्व दिया गया की हरेक स्तर के पदाधिकारी की समस्याओं पर विचार कर एक "Common सुधारात्मक एजेन्डा" तैयार करेगें जिसे केन्द्रीय कार्यकारणी के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा। यह कार्य दो सप्ताह में कर लेने का निर्णय लिया गया। यह कमिटि वर्ष 2011–12 से लागू होने वाले नये सी०आर० प्रप्रत्र के जटिलता एवं हाल में न्यायिक सेवा को दी गई सुविधा के बिन्दु पर भी विचार करेगी।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के Website बनाने पर विचार किया गया। इस संदर्भ में बताया गया कि पूर्व से श्री अनुज, अनुमंडल पदाधिकारी बेगुसराय सदर, द्वारा कुछ कार्य किये गये हैं। श्री कुमार रविन्द्र, वरीय उप समहर्त्ता, बक्सर को Website का कार्य 15 दिन में कर लेने एवं प्रारम्भ कराने के लिए प्राधिकृत किया गया।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–11907 दिनांक–02.12.10 की कंडिका–4 की उप कंडिका (iv–ग) में जिला पदाधिकारी के कक्ष में एक **White Notice board** लगाये जाने तथा उस पर जिला पदधिकारी के अधीनस्थ पदाधिकारीगण द्वारा कार्यालय आने से संबंधित Entries करने का निदेश है। प्रथम दृष्या उक्त निदेश पदाधिकारियों से उनकी उपस्थिति Entry

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना- 800 001
(पंजीयन सं०-633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :.............................. दिनांक..............................

अध्यक्ष (का०)
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139
(O) 0612-2217696

+++

उपाध्यक्ष
* मो० एखलाक अहमद
(M) 9934280177

+++

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157

* अखिल कुमार
(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

कराना **परिलक्षित** करता है। बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी द्वारा कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने का पूर्व में सरकार का न तो कोई आदेश है और न परम्परा। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ सरकार से यह मांग करती है कि चूँकि जिला पदाधिकारी के कार्यालय में बिहार प्रशासनिक सेवा के भी पदाधिकारी पदस्थापित रहते हैं इसलिए उक्त आदेश का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के मनोवल पर एवं क्षेत्रिय प्रशासन पर पड़ेगा। अतः उक्त आदेश में यथोचित संशोधन किया जाय एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को उपस्थिति Entry करने से मुक्त किया जाय। बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी भविष्य में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे।

5. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा कराने पर विचार किया गया।

सर्व—सम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री से फरवरी 2011 के किसी रविवार को (यथा सम्भव प्रथम/द्वितीय रविवार) का समय मांगा जाय जो भी समय संघ को प्राप्त होगी उसी तारीख को आम सभा की जायेगी। इससे पूर्व अंकेक्षण एवं अन्य प्रक्रिया पूरी कर लेने पर निर्णय लिया गया।

6. बिहार प्रशासनिक सेवा नियमावली शीघ्र तैयार करने हेतु प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध करने पर निर्णय लिया गया।

7. महासचिव का पदस्थापन पटना में नहीं रहने के कारण हो रही परेशानी पर भी विचार किया गया। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से इस संबंध में अनुरोध किया गया है।

8. संघ के कार्यकारणी की अवधि जो वर्त्तमान में एक वर्ष का है यह समय किसी भी कार्यकारणी के लिए बहुत कम समय है पर विचार कर यह निर्णय लिया गया की कार्यकारणी का समय दो वर्ष होनी चाहिए। इस प्रस्ताव को आगामी आम सभा में अनुमोदन कराने पर निर्णय लिया गया।

9. छठे वेतनमान के बाद ए०सी०पी० का लाभ नियमानुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को अतिशीघ्र दिया जाय इस हेतु प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का ध्यान आकृष्ट करने पर निर्णय लिया गया।

10. अंत में श्री राजेन्द्र प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी भोजपुर एवं श्रीमति कंचन तिवारी, वरीय उप सामाहर्त्ता जमुई के असमय बिमारी से मृत्यु होने पर दिवगंत आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया।

अंत में अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(सुशील कुमार) 5/1/11
महासचिव

(शम्भु नाथ मिश्र) 5/1/11
अध्यक्ष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना- 800 001
(पंजीयन सं०-633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

त्रांक :.................................... दिनांक................................

अध्यक्ष (का०)

* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139
(O) 0612-2217696

+++

उपाध्यक्ष

* मो० एखलाक अहमद
(M) 9934280177

+++

महासचिव

सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव

* राजनन्द बड़ियार
(M) 9431093157

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

+++

ोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+++

ुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

ज्ञांपाक:–.......01............./ दिनांक–.....4/1/11........./

प्रतिलिपिः–केन्द्रीय कार्यकारणी के सभी सदस्य/सभी विशेष आंमत्रित सदस्य/सभी जिला इकाई के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उपरोक्त कमिटि के अध्यक्ष/सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

4/1/11
महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना- 800 001

(पंजीयन सं०-633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक :......29...... दिनांक......29/10/11......

अध्यक्ष (का०)

* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139
(O) 0612-2217696

+++

उपाध्यक्ष

* मो० एखलाक अहमद
(M) 9934280177

+++

महासचिव

सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव

* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

दिनांक–16.10.2011 को केन्द्रिय कार्यकारणी की बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

आज की बैठक विशेष रूप से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति हो जाने के कारण एवं सितम्बार माह में सेवानिवृत पदाधिकारी को विदाई देने हेतु आहूत की गयी । सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा सभी नवप्रोन्नत पदाधिकारी का स्वागत किया गया।

नव प्रोन्नत पदाधिकारी का नाम इस प्रकार है:–

Select List 2006-A (Against vacancies of 2006)

क्र.सं.	कोटि क्रमांक	बैच	नाम	वर्तमान पदस्थापन
1	93/08	25वी	श्री धीरेद्र मोहन झा	विशेष सचिव श्रमायुक्त, बिहार, पटना
2.	108/08	25वी	श्री अनिल कुमार वर्मा	विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना
3	113/08	25वी	श्री लक्षमेश्वर झा	विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना
4	116/08	25वी	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	विशेष सचिव, निःशक्ता आयुक्त पटना
5	118/08	25वी	श्री परमानन्द झा	विशेष सचिव, निदेशक, युवा एवं छात्र कल्याण कला संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना
6	120/08	25वी	श्री राम बाबु सिंह	विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना
7	123/08	25वी	श्री धरमेश्वर ठाकुर	विशेष सचिव, गृह विभाग, पटना
8	125/08	25वी	श्री विजय कुमार सिंह	विशेष सचिव, उद्योग विभाग, पटना

Select List 2007 (Against vacancies of 2007)

क्र.सं.	कोटि क्रमांक	बैच	नाम	वर्तमान पदस्थापन
1	145/08	26वी	श्री राधवेन्द्र झा	निदेशक (राजभाषा)–सह अपर सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, पटना।
2.	150/08	26वी	श्री रामरूप सिंह	संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, पटना
3	157/08	26वी	श्री उपेन्द्र कुमार	अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना
4	174/08	27वी	श्री अनिल कुमार	अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना।
5	176/08	27वी	श्री राजीव कुमार सिंह	अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, पटना

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना- 800 001
(पंजीयन सं०-633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

सत्यमेव जयते

पत्रांक :................................. दिनांक.................................

अध्यक्ष (का०)
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(R) 0612-2288139
(O) 0612-2217696

+++

उपाध्यक्ष
* मो० एखलाक अहमद
(M) 9934280177

+++

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901

6	178/08	27वी	श्री मिसवाह बारी	अपर सचिव, निबंधन उत्पाद एंवं मद्य निषेद विभाग, पटना
7	185/08	27वी	श्री संजय कुमार सिंह	अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग, पटना
8	186/08	27वी	श्री इफ्तेखार हसन	अपर सचिव, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हज कमिटी, पटना।

सितम्बर,11 में सेवानिवृत पदाधिकारी का नाम इस प्रकार हैं।

1. श्री विजय कुमार ठाकुर – विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग
2. श्री नृपति मंडल – विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग
3. श्री जय प्रकाश सिन्हा – संयुक्त सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
4. श्री अखिलेश्वर प्रसाद गुप्ता– निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम बेतिया

बैठक में श्री धीरेन्द्र मोहन झा, श्री विजय कुमार सिंह, श्री राम बाबू सिंह ने अपने अपने विचार रखे।

उपस्थित सभी पदाधिकारी को वि.प्र.से. का सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हुए भावभिनी विदाई दी गयी।

2. प्रायः देखा जाता है कि कार्यकारणी की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति अच्छी नहीं रहती है यह स्थिति विगत कई वर्षों के उपस्थिति पंजी का अवलोकन से भी स्पष्ट होता है ऐसा इसलिए भी होता है कि कार्यकारणी गठन के बाद कई सदस्य सेवानिवृत हो जाते है या फिर अन्यत्र स्थनातंरित हो जाते है। By Laws के कंडिका 5(C) के अनुसार जिला/अनुमंडल/प्रमंडल इकाई के अध्यक्ष/सचिव कार्यकारणी के पदेन सदस्य होते है परन्तु सूचना देने के बाद भी न तो इन इकाई के अध्यक्ष/सचिव उपस्थित होते है और न ही उनके प्रतिनिधि।

आज की बैठक में सभी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया गया कि भविष्य में होने वाली बैठक में अपनी–अपनी उपस्थिति बनाये रखने का प्रयास किया जाय। महासचिव द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि पटना मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को आमंत्रित सदस्यों के रूप में कार्यकारणी का सदस्य बनाया जाय इसके लिए By Laws में संशोधन की आवश्यकता होगी जिसे आम सभा से अनुमोदन कराने का निर्णय लिया गया।

श्री अजय कुमार चौधरी सं०सं० सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अन्त में सभी सदस्यों का धन्यवाद दिया गया तदोपरांत अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

27/10/11

(शम्भु नाथ मिश्र)
अध्यक्ष

ज्ञापांक– 29 दिनांक– 29-10-11

प्रतिलिपिः–केन्द्रीय कार्यकारणी के सभी संदस्य/सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/सभी जिला ईकाई के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सुशील 27/10/11

(सुशील कुमार)
महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

आम सभा

प्रतिवेदन

दिनांक 25 दिसम्बर 2011

पटना

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

आम सभा

दिनांक 25.12.2011 की बैठक का मिनट–टू–मिनट कार्यक्रम

उद्‌घाटन समारोह

क्रमांक	समय	कार्यक्रम
1	पूर्वा० 10:30–10:40	मुख्य सचिव सहित गणमान्य अतिथियों का आगमन एवं उनका स्वागत तथा गत आम सभा से अबतक मृत संघ के पदाधिकारियों को श्रद्धांजलि हेतु दो मिनट का मौन।
2	पूर्वा० 10:40–10:45	मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर आम सभा का उद्‌घाटन।
3	पूर्वा० 10:45–10:55	अध्यक्ष का स्वागत भाषण एवं संघ की समस्याओं पर प्रकाश।
4	पूर्वा० 10:55–11:30	विशिष्ट अतिथियों का भाषण ।
5	अप० 12:00–12:10	महासचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन ।
6	अप० 12:10–12:40	चाय ब्रेक ।
7	अप० 12:40–01:00	महासचिव द्वारा प्रस्ताव/प्रतिवेदन ।
8	अप० 01:00–02:00	लन्च ब्रेक ।
9	अप० 02:00–05:00	नये कार्यकारिणी के गठन पर विचार एवं आवश्यकतानुसार मनोनयन/चुनाव ।
10	अप० 05:00–05:10	नये अध्यक्ष/महासचिव का पदभार ग्रहण ।
11	अप० 05:10–05:30	आम सभा का समापन – नये अध्यक्ष एवं महासचिव के संबोधन से ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
सत्यमेव जयते

आम सभा (25.12.2011)

स्वागत भाषण

माननीय अतिथिगण, प्रेस एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया से आये पत्रकार बन्धुओ एवं सथियो !

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की इस आम सभा में हम अपने अतिथिगण, प्रेस एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया से आये पत्रकार बंधुओं एवं उपस्थित साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा दिनांक 04.07.2010 को निर्धारित थी। कतिपय कारणों से उक्त तिथि को आम सभा नहीं हो सकी। संघ के अध्यक्ष श्री अरूणचन्द्र मिश्र सेवानिवृत्त हो गए। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के वरीय उपाध्यक्ष रहने के कारण संघ की कार्यकारिणी द्वारा मुझे कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया।

बिहार प्रशासनिक सेवा में यह मेरा 31वां वर्ष है। इस सेवा में योगदान की तिथि से ही मैं संघ की गतिविधियों में सदा सहभागी रहा हूँ। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की जिला ईकाई प० चम्पारण का सचिव, सचिवालय ईकाई का सचिव, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का संयुक्त सचिव एवं बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का वरीय उपाध्यक्ष एवं वर्त्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संघ के नेतृत्व करने का आप सभी ने मुझे सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं सदा अपने संघ के साथियों का आभारी रहूँगा।

इस सभा में जो माननीय अतिथिगण उपस्थित हैं, उनका समय बहुमूल्य है तथा उन पर राज्य की कठिन समस्याओं के समाधान का दायित्व भी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए संघ की कुछ समस्याओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

बिहार प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन 28.01.2010 को राज्य सरकार द्वारा किया गया। पुनर्गठन के पूर्व बिहार प्रशासनिक सेवा का कुल स्वीकृत बल 2878 था एवं कुल स्वीकृत बल के विरुद्ध लगभग 1500 पदाधिकारी कार्यरत थे।

पुनर्गठन के उपरान्त बिहार प्रशासनिक सेवा की कुल स्वीकृत बल 851 निर्धारित किया गया। इस तरह लगभग 650 पद बिहार प्रशासनिक सेवा से समाप्त कर दिया गया, जिस कारण लगभग 650 पदाधिकारी पद विहीन हो गए। इन्हें विभिन्न जिलों में वरीय उपसमाहर्त्ता का पदनाम तथा विशेष कार्य पदाधिकारी का पदनाम देकर किसी प्रकार एडजेस्ट कर दिया गया। अपर समाहर्त्ता स्तर तथा उप सचिव स्तर के पदों की संख्या जो पूर्व में 355 एवं 687 थी घटकर 159 एवं 176 हो गई। जिस कारण इन दोनों कोटि में प्रोन्नति पूर्णतः अवरुद्ध हो गई।

हालांकि पुनर्गठन संबंधी निर्गत संकल्प की कंडिका-4 (6) में यह प्रावधान है कि अन्य विभागों में प्रोन्नति हेतु चिह्नित पदों पर पूर्व की भांति बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी पदस्थापित होते रहेंगे। परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग वैसे पदों पर पदस्थापन तो करती है, परन्तु अभी तक प्रोन्नति देने पर निर्णय नहीं कर पाई है। यह आश्चर्य है कि अगर प्रोन्नति नहीं होगी, उक्त पदों के योग्य पदाधिकारी उपलब्ध नहीं होंगे तो पदस्थापन कैसे होगी? इस पर निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्यों नहीं ले रहा है?

संघ का शिष्टमंडल इस समस्या के समाधान हेतु प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से मिला भी है तथा संघ की ओर से कतिपय पत्र भी भेजे गए हैं। यह आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही सामान्य प्रशासन विभाग ऐसे पदों पर पदस्थापन के लिए प्रोन्नति देगी।

आम सभा (25.12.2011)

स्वागत भाषण

माननीय अतिथिगण, प्रेस एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया से आये पत्रकार बन्धुओ एवं सथियो !

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की इस आम सभा में हम अपने अतिथिगण, प्रेस एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया से आये पत्रकार बंधुओं एवं उपस्थित साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा दिनांक 04.07.2010 को निर्धारित थी। कतिपय कारणों से उक्त तिथि को आम सभा नहीं हो सकी। संघ के अध्यक्ष श्री अरूणचन्द्र मिश्र सेवानिवृत्त हो गए। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के वरीय उपाध्यक्ष रहने के कारण संघ की कार्यकारिणी द्वारा मुझे कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया।

बिहार प्रशासनिक सेवा में यह मेरा 31वां वर्ष है। इस सेवा में योगदान की तिथि से ही मैं संघ की गतिविधियों में सदा सहभागी रहा हूँ। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की जिला ईकाई प० चम्पारण का सचिव, सचिवालय ईकाई का सचिव, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का संयुक्त सचिव एवं बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का वरीय उपाध्यक्ष एवं वर्त्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संघ के नेतृत्व करने का आप सभी ने मुझे सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं सदा अपने संघ के साथियों का आभारी रहूँगा।

इस सभा में जो माननीय अतिथिगण उपस्थित हैं, उनका समय बहुमूल्य है तथा उन पर राज्य की कठिन समस्याओं के समाधान का दायित्व भी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए संघ की कुछ समस्याओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

बिहार प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन 28.01.2010 को राज्य सरकार द्वारा किया गया। पुनर्गठन के पूर्व बिहार प्रशासनिक सेवा का कुल स्वीकृत बल 2878 था एवं कुल स्वीकृत बल के विरुद्ध लगभग 1500 पदाधिकारी कार्यरत थे।

पुनर्गठन के उपरान्त बिहार प्रशासनिक सेवा की कुल स्वीकृत बल 851 निर्धारित किया गया। इस तरह लगभग 650 पद बिहार प्रशासनिक सेवा से समाप्त कर दिया गया, जिस कारण लगभग 650 पदाधिकारी पद विहीन हो गए। इन्हें विभिन्न जिलों में वरीय उपसमाहर्त्ता का पदनाम तथा विशेष कार्य पदाधिकारी का पदनाम देकर किसी प्रकार एडजेस्ट कर दिया गया। अपर समाहर्त्ता स्तर तथा उप सचिव स्तर के पदों की संख्या जो पूर्व में 355 एवं 687 थी घटकर 159 एवं 176 हो गई। जिस कारण इन दोनों कोटि में प्रोन्नति पूर्णतः अवरुद्ध हो गई।

हालांकि पुनर्गठन संबंधी निर्गत संकल्प की कंडिका-4 (6) में यह प्रावधान है कि अन्य विभागों में प्रोन्नति हेतु चिह्नित पदों पर पूर्व की भांति बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी पदस्थापित होते रहेंगे। परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग वैसे पदों पर पदस्थापन तो करती है, परन्तु अभी तक प्रोन्नति देने पर निर्णय नहीं कर पाई है। यह आश्चर्य है कि अगर प्रोन्नति नहीं होगी, उक्त पदों के योग्य पदाधिकारी उपलब्ध नहीं होंगे तो पदस्थापन कैसे होगी? इस पर निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्यों नहीं ले रहा है?

संघ का शिष्टमंडल इस समस्या के समाधान हेतु प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से मिला भी है तथा संघ की ओर से कतिपय पत्र भी भेजे गए हैं। यह आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही सामान्य प्रशासन विभाग ऐसे पदों पर पदस्थापन के लिए प्रोन्नति देगी।

हाल ही में संघ के महासचिव के साथ अखिल भारतीय असैनिक सेवा फेडरेशन की बैठक जो भुवनेश्वर में आहूत थी में भाग लेने का अवसर मुझे मिला है। उक्त बैठक में यह जानकारी मिली कि विभिन्न राज्य यथा उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में राज्य प्रशासनिक/असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को जिलाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है। मुझे स्मरण है कि पूर्व की सरकार द्वारा भी जिला पदाधिकारी के 5 पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को पदस्थापित करने का मत गठित हुआ था, इसका कार्यान्वयन अभी तक लंबित है।

मैं यहाँ माननीय अतिथियों के स्वागत करने के लिए खड़ा हूँ, परन्तु संघ के निम्न समस्याओं के समाधान हेतु आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

1. अपर समाहर्त्ता कोटि एवं उप सचिव कोटि के वैसे पद जो पूर्व में बिहार प्रशासनिक सेवा के थे पर जबतक अन्य सेवा के पदाधिकारी पदस्थापन हेतु अर्हता प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तबतक उन पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारी को प्रोन्नति देकर पदस्थापन पूर्ववत किया जाए।
2. राज्य के अनुमंडलों में वर्त्तमान में सुपरवाइजरी स्तर के कर्मियों को कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है, जिस कारण अनुमंडलों के न्यायालीय कार्यों के निष्पादन में स्वाभाविक कठिनाई हो रही है, अतएव विभिन्न जिलों में पदस्थापित मूल काटि के वरीय उपसमाहर्त्ताओं में से प्रत्येक अनुमंडल में एक पदाधिकारी को अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी के पदनाम से पदस्थापित करने का निर्णय लिया जा सकता है।
3. बिहार प्रशासनिक सेवा राज्य की प्रीमियर सेवा है। इसलिए अन्य सेवाओं की तुलना में इसकी विशिष्टता एवं पहचान बनाये रखने में सरकार आवश्यक सहयोग प्रदान करे।

मित्रो मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूँ कि इस प्रीमियर सेवा के नेतृत्व करने का भार आपने मुझे दिया। यह आपसे अपेक्षा है कि बिहार प्रशासनिक सेवा की मर्यादा को बनाये रखने में आप हर वक्त प्रयत्नशील रहेंगे तथा अन्य सेवा के पदाधिकारी से अपनी अलग पहचान बनाये रखने हेतु आप सदैव सचेष्ट भी रहेंगे।

मुझे यह कहते हुए थोड़ा भी संकोच नहीं है कि इस सेवा के शुभचिंतक कम हैं, एवं आलोचक ज्यादा, हमारी छोटी से छोटी भूल को विकराल रूप में प्रदर्शित किया जाता है एवं बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को तुच्छ बताया जाता है। यह परिपार्टी बन्द होना चाहिए।

इस आम सभा में हमें यह संकल्प लेना है कि अपने राज्य को इस देश का सबसे विकसित राज्य बनाना है तथा बिहार प्रशसनिक सेवा को अन्य राज्य के राज्यस्तरीय सेवा के लिए अनुकरणीय बनाना है।

अंत में यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं अपने सभी बन्धुओं का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

जय संघ, जय बिहार जय भारत, संघ एकता जिन्दाबाद।

(शम्भु नाथ मिश्र)
अध्यक्ष

आम सभा (25.12.2011)

महासचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन

माननीय अतिथिगण, प्रेस एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया से आये पत्रकार बन्धुओ एवं सथियो !

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा में अपने व्यस्त क्षणों में कुछ क्षण निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

सिविल सेवा सबसे प्राचीन सेवा है। पूर्व में इस सेवा के दो ही मुख्य कर्त्तव्य थे। राजस्व संग्रहण एवं विधि व्यवस्था का संधारण। आजादी के उपरान्त लोकतंत्र में सिविल/ प्रशासनिक सेवा से लोगों की अपेक्षाओं में काफी वृद्धि हुयी है। अब हम राजस्व संग्रहण एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित करने तक ही सीमित नहीं हैं। कल्याणकारी राज्य में विकास एवं लोगों के कल्याण के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा, संप्रदायिक दंगों को रोकने में हमारी अहम भूमिका होती है। प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को ही स्थल स्थल पर जाना पड़ता है। संघ के सदस्यों द्वारा विपदा के घड़ी में मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि भी उपलब्ध करायी जाती रही है। सीमित संसधानों एवं आधारभूत संरचनाओं की कमी के बावजूद बाढ़ जैसे कठिन क्षणों में आपदा प्रबंधन कार्य निर्वहन करने के दौरान भूखी और पीड़ित जनता के द्वारा किये गये हमलों में हमारे कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विकट स्थिति में संघ के सदस्यों द्वारा किये गये विशिष्ट कार्य के लिए सरकार द्वारा बि०प्र०से० के पदाधिकारी को पुरस्कृत भी किया गया है।

बिहार के नवनिर्माण में हमारी भूमिका किसी अन्य से कम नहीं है। हमने कानून का राज्य स्थापित करने एवं नये बिहार का निर्माण में पूर्ण सहयोग देने का निर्णय लिया है और हम इसके लिए कटिबद्ध भी हैं। विषम परिस्थिति में भी हमने कठिन परिश्रम एवं लगन सेवा भाव से कार्य किया है और गरीबी रेखा से नीचे रहनेवालों के स्तर में सुधार के साथ-साथ विकासोन्मुखी कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में पूर्ण सहयोग दिया है।

महोदय, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं परन्तु संघ की कुछ समस्याओं से आपको मुखातिब कराने की अनुमति चाहता हूँ। बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड के वेतनमान जिसे आपके द्वारा पे-वेण्ड-3 ग्रेड वेतन 5400 प्रदान करने के बावजूद वेतन समिति ने गलत अनुशंसा यह कह कर की बि०प्र०से० के पदाधिकारी ग्रुप 'A' में नहीं आते हैं तथा मात्र दो राज्यों का उदाहरण देकर बेसिक ग्रेड के पदाधिकारी का वेतनमान प्रथम चार वर्ष के लिए पे-वेण्ड-2 ग्रेड पे-5400 में परिवर्तित करा दिया है जबकि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-9849 दिनांक 10.11.2004 में उल्लेखित है कि "कोई भी पद जिसका वेतनमान अथवा वेतनमान का अधिकतम रू0 13,500 से कम नहीं है समूह-क(ग्रेड-ए) के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।" पे-वैण्ड-3 ग्रेड वेतन 5400 कई राज्यों यथा उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिलनाडु आदि राज्यों में स्वीकृत किया गया है। अतः बेसिक ग्रेड के पदाधिकारी के वेतनमान में सुधार की तुरन्त आवश्यकता है।

सरकार के द्वारा बि०प्र०से० के पदाधिकारी को नया Cadre स्वीकृत किये जाने से काफी हर्ष है लेकिन बेसिक ग्रेड के पदाधिकारी का पदस्थापन संकल्प के अनुरूप नहीं होने से काफी रोष भी है। संकल्प के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रखण्ड/अंचल के पदाधिकारी को हटाते हुए Non Cadre Post पर पदस्थापित नहीं कर एक बार में ही प्रखण्ड/अंचल से हटाकर जिले में वरीय उपसमाहर्त्ता के रूप में अधिक संख्या में पदस्थापित कर दिया गया। इसे तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। संघ का अनुरोध होगा कि संकल्प के अनुरूप Non Cadre Post पर पदस्थापन के साथ-साथ प्रोन्नति दी जाय अन्यथा Promotion पर Stagnation की समस्या दूर नहीं हो पायेगी। संघ का सुझाव है कि Cadre एवं non Cadre Post को तत्काल पूरा Strength मानते हुए तब तक प्रोन्नति दी जाय जब तक कि Cadre Strength घटकर 851 नहीं हो जाती है। नया Cadre लागू हो जाने के उपरान्त संघ यह मांग रखती है कि बि०प्र०से० के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का 50 प्रतिशत पद चिह्नित किया जाय। साथ ही अन्य राज्यों की तरह बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को विभागाध्यक्ष के समकक्ष पद एवं विशेष सचिव/अपर सचिव स्तर के पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी का भी पद दिया जाय।

अन्त में सभी विशिष्ट अतिथियों, प्रेस बन्धुओं को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ।

जय संघ, जय बिहार जय भारत, संघ एकता जिन्दाबाद।

(सुशील कुमार)
महासचिव

आम सभा (25.12.2011)

महासचिव का प्रस्ताव

पारित करने हेतु प्रस्ताव:-

1. By Law के कंडिका 3 (b) के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी का गठन एक वर्ष के लिए होना है। पूर्व में कोई भी आम सभा एक वर्ष में नहीं हुई है। ऐसे भी किसी भी कार्यकारिणी के लिए एक वर्ष का समय बहुत कम होता है। इस परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा दिनांक 26.12.10 की बैठक में कंडिका -8 में यह निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी जाय।

   आपकी सहमति प्रार्थनीय है।

2. By Law के कंडिका 5 (a) एवं (b) के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी की संख्या 27 के अतिरिक्त 5(c) के अनुसार सभी अनुमंडल/जिला/प्रमण्डल ईकाई के अध्यक्ष/सचिव पदेन सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित के रूप में अनेक सदस्य को मनोनीत किया जाता है परन्तु सूचना निर्गत होने के बाद भी कार्यकारिणी कीबैठक में उपस्थित पूर्व के वर्षों से लगातार मात्र 10-15 तक ही हो पाती है। इसके उपस्थिति अधिक हो के लिए कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 16.10.11 कंडिका (2) में यह निर्णय लिया गया कि पटना मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी को आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाय।

जय संघ, जय बिहार जय भारत, संघ एकता जिन्दाबाद।

(सुशील कुमार)
महासचिव

आम सभा (25.12.2011)

महासचिव का प्रतिवेदन

इस कार्यकाल में संघ की प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:-

1. स्व० श्री अरविन्द मिश्र तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अरियरी, शेखपुरा एवं स्व० श्री मंजूरूल आलम तत्कालीन सचिव, नगर निगम, पटना की हत्या के उपरान्त संघ के सदस्यों से प्राप्त चन्दा क्रमशः 7.50 एवं 1.05 लाख उनके परिवार को उपलब्ध कराया गया। अन्य सरकारी सुविधा के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों को उनकी इच्छानुसार नौकरी मुहैया करायी गयी है। श्रीमती कंचल तिवारी, तत्कालीन वरीय उपसमहर्त्ता जमुई एवं श्री ललित कुमार दास, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी बांका के आकस्मिक मृत्यु होने के कारण संघ के सदस्यों के प्राप्त चंदा उनके परिवार को क्रमशः 2.12 एवं 1.03 लाख रूपया उपलब्ध कराया गया।
2. विगत वर्षों में आयी भीषण बाढ़ के समय संघ के सदस्यों से प्राप्त राशि-4.02 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गयी। भीषण बाढ़ से जुड़े बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को उत्कृष्ट कार्य के लिए सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है।
3. जब हमारे पदाधिकारी प्रखंडों एवं अंचलों में पदस्थापित थे उस समय प्रखंडों/अंचलों में कार्य बोझ के संबंध में राजस्व/ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव का ध्यान आकृष्ट किया गया था कि प्रखंड/अंचल कार्यालयोंमें स्टाफिंग का प्रोब्लेम दूर किया जाय। साथ ही अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित किया जाय ताकि हमारे पदाधिकारी एक स्वच्छ वातावरण में सरकार के कार्य का निष्पादन कर सकें। प्रखंडों में उपलब्ध कराये जा रहे वाहनों पर चारों तरफ पदनाम लिखे जाने का विरोध संघ द्वारा किया गया।
4. जिला ईकाई की नियमित बैठक करने/वार्षिक चंदा देने/सदस्यों के समस्या के संबंध में प्रतिवेदन भेजने हेतु सभी जिला ईकाई के अध्यक्ष/सचिव से बराबर अनुरोध किया जाता रहा। इस निमित्त खगड़िया/ अररिया/सुपौल/पूर्णिया में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जिला ईकाई की बैठक भी करायी गयी।
5. क्षेत्रीय पदाधिकारी पर जिला पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के मामले / असामाजिक तत्वों द्वारा पदाधिकारियों पर किये गये प्रहार / दुर्व्यवहार के मामले में गृह विभाग द्वारा सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निदेश दिये गये हैं।
6. निलम्बित पदाधिकारी का स-समय विभागीय कार्यवाही सम्पन्न कराने/निलंबन से मुक्त करने के संबंध में दिनांक 31.12.2010 को माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया। साथ ही प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से त्वरित कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारियों से कार्यवाही से संबंधित सूचना की मांग भी संघ द्वारा की गयी है।
7. संघ के सदस्यों के प्रोब्लेम से संबंधित अनेक मामले भी प्राप्त हुए यथा श्री अजय कुमार सिंह वरीय उपसमाहर्त्ता गया, श्री विजय कुमार ठाकुर तत्कालीन स०नि०बिहार सर्वेक्षण आयोग गुलजारबाग, श्री मनोज कुमार चौधरी प्रोक्योरमेट पदाधिकारी I.C.D.S., श्री सुशील कुमार उप विकास आयुक्त छपरा, श्री कौशलेन्द्र सिंह (36वीं बैच), श्री जनार्दन अग्रवाल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनारा, श्री गोपाल प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारखंड, श्री शम्भू कुमार तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी नादरीगंज, श्री संजय कुमार तत्कालीन अंचलाधिकारी रहुई, श्री कृषिदेव झा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी दिघल बैंक, श्री राजाराम चन्द्र राम तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी बिस्फी, श्री अजीत कुमार सिंह, तत्कालीन उप विकास आयुक्त सीतामढ़ी, श्री अवध किशोर प्रसाद, तत्कालीन भु०सु० उप समाहर्त्ता बांका, श्री जय नारायण झा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी हिलसा, श्री आजाद शहाबुद्दीन, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अकरा कुरहा, श्री देवेन्द्र प्रसाद (35वीं बैच), श्री राजयनन्द वार्डियार, तत्कालीन अंचल अधिकारी दानापुर, श्री सुधांशु चौबे, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी गायघाट, श्री अमिताभ सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी वैशाली, श्रीमती वीणा प्रसाद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर, श्री अमानुल्लाह, तत्कालीन एसडीओ मधुबनी, श्री गुफरान अहमद, तत्कालीन डीएसओ मधुबनी, श्री रजनीकान्त, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पण्डौल, श्री रविभूषण, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी बाराचट्टी, श्रीमती सुजाता चलाना, तत्कालीन सहायक निदेशक भू० एवं माप राजस्व श्री राजीव चौहान, वरीय उप समाहर्त्ता अररिया, श्री राजेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज, मो० खुर्शीद आलम, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर, श्री सुनील कुमार झा, नजारत उप समाहर्त्ता सीतामढ़ी, श्री विपिन कुमार यादव, वरीय उप समाहर्त्ता बेगुसराय, श्री प्रमोद कुमार बिहारी, अपर समाहर्त्ता औरंगाबाद, श्री अवध किशोर प्रसाद, जिला प्रबंधक एस.एफ.सी. खगड़िया आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है।
8. क्षेत्रीय पदाधिकारी पर आये समस्या के समय संघ के पदाधिकारी के द्वारा यथा बेगूसराय, दरभंगा, सीतामढ़ी, छपरा, मधेपुरा जिलों में भ्रमण किया गया।
9. प्रोन्नति पाये पदाधिकारी का तुरंत पदस्थापन करने/ए.सी.पी. का लाभ देने के संबंध में भी प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन का

ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

10. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग पुनर्गठन कार्मिक के संकल्प 942 दिनांक 28.01.10 द्वारा निर्गत किया गया जिसकी प्रति संघ के ज्ञाप संख्या-03 दिनांक 28.01.10 द्वारा जिला इकाई अपर समाहर्त्ता के माध्यम से सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया। संकल्प की कंडिका (3) में उल्लेखित है कि बेसिक ग्रेड के पदाधिकारी को चरणबद्ध ढंग से हटा लिया जायेगा एवं कंडिका (6) में उल्लेखित है कि अन्य विभागीय संवर्गों में पदस्थापित किया जायेगा परन्तु 01.04.10 के प्रभाव से लागू होने के क्रम में उपरोक्त कंडिका की अनदेखी कर एक बार में ही सभी पदाधिकारी को प्रखड/ अंचल से हटा कर जिलों में अधिक संख्या में वरीय उप समाहर्त्ता के पद पर पदस्थापित कर दिया गया जहाँ हमारे पदाधिकारी को बैठने/ कार्यावंटन/अन्य सरकारी सुविधा के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। संघ के प्रयास से जिलों में वरीय उप समाहर्त्ता के लिए गाड़ी/कम्प्यूटर व अन्य सुविधा का आदेश निर्गत हुआ। कई जिलों में इसका अनुपालन हुआ है परन्तु कुछ जिलों में अनुपालन नहीं हुआ है इस ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है।

11. छठे वेतनमान लागू होने के क्रम में बेसिक ग्रेड का वेतनमान 6500 को 8000 में उत्क्रमित कर पे बेण्ड-3, ग्रेड वेतन 5400 प्रदान किया गया परन्तु वेतन समिति की गलत अनुशंसा के कारण प्रथम चार वर्ष के लिए वेतनमान पे-वेण्ड-2, ग्रेड वेतन 5400 में परिवर्तित कर दिया गया। सरकार ने विसंगतियाँ दूर करने हेतु त्रि सदस्यीय कमिटि का गठन किया जिसके समक्ष संघ के द्वारा इस संदर्भ में ठोस पक्ष रखा गया। समिति का प्रतिवेदन कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी ग्रेड ए में नहीं आते हैं के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प संख्या-9849 दिनांक 10.11.2004 प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी ग्रुप 'क' (ग्रेड-ए) के रूप में वर्गीकृत हैं। कई राज्यों यथा उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिलनाडु आदि राज्यों में पे-वैण्ड-3 स्वीकृत किया गया है- इसकी प्रति भी कमिटि को दी गयी है। इसके अलावे संघ का प्रतिनिधि मंडल माननीय उप मुख्यमंत्री से भी मिला। माननीय मुख्यमंत्री को भी दिनांक-31.12.10 को हुई वार्ता में संघ द्वारा अवगत कराया गया

12. बेसिक ग्रेड के वेतनमान के संदर्भ में निर्गत किये जा रहे वेतन पूर्जों में त्रुटि (बंचिंग का लाभ) के संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री को पत्र के द्वारा संसूचित करा दिया गया जिसपर कार्यवाही की गयी। ज्ञात हुआ कि इससे संबंधित संचिका माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त विभाग के बीच विमर्श में है इस हेतु संघ द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया गया है कि पहल कर इसका निष्पादन कराया जाय। उम्मीद है कि इसका निराकरण हो जाएगा।

13. वर्ष 2008 से वर्ष 10 तक में संघ के प्रयास एवं सरकार के सहयोग से बिहार प्रशासनिक सेवा के 119 पदाधिकारियों का अपर समाहर्त्ता में, 127 पदाधिकारियों का प्रवर कोटि में प्रोन्नति, 92 पदाधिकारियों को ए.सी.पी. का लाभ दिया गया है। 01.04.10 को पुनर्गठन लागू होने के उपरांत 47 पदाधिकारी को विशेष सचिव, 105 पदाधिकारी को अपर सचिव, 159 पदाधिकारी को संयुक्त सचिव में प्रोन्नति हुई है लेकिन अपर समाहर्त्ता एवं उप सचिव स्तर में कोई प्रोन्नति नहीं हो पायी जिसके लिए संघ इन समस्याओं का निराकरण करने हेतु दिनांक-31.12.10 को माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट भी कराया गया तदोपरांत प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन को इसका निराकरण कराने का विस्तृत सुस्पष्ट प्रतिवेदन दिया गया जिसे जुलाई-अगस्त, 2011 के प्रशासन पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया परन्तु खेद है कि अबतक इसका समाधान विभाग द्वारा नहीं निकाला गया है। इस बात से थोड़ा राहत भी महसूस होरहा है कि BAS Rule के साथ-साथ नन कैडर पोस्ट पर पदस्थापन के साथ-साथ प्रोन्नति देने के संबंधित संचिका पर कार्यवाही चल रही है। फिलहाल 2012 में संभावित रिक्ति इस प्रकार है:- विशेष सचिव-19, अपर सचिव-30, संयुक्त सचिव-54, अपर समाहर्त्ता-83 यानी उप सचिव से अपर समाहर्त्ता का स्टेग्नेशन समाप्त होने को है। परन्तु मूल कोटि से उप सचिव में प्रमोशन में स्टैगनेशन अभी भी रह जाता है जिसका समाधान विभाग कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले दो माह में इसका समाधान निकल जायेगा।

14. संघ भवन स्थित सभा कक्ष का सुदृढ़ीकरण कराया गया है। संघ भवन निर्माण पर लगी रोक को मुक्त करा दिया गया है। संशोधित नक्शा पारित हो चुका है जिला पदाधिकारी पटना से एन.ओ.सी. भी मिल गया है। वर्ष 2012 में संघ भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

15. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का वेबसाइट (www.basabihar.in) प्रारम्भ कर दिया गया है। संघ के सदस्यों से अनुरोध है कि BASA अपना के Email-id infobasa1@gmail.com पर अपना-अपना Email-id/Contact No./ Photo/ Qualification other than compulsory qualification भेजा जाये।

16. संघ के 55 वर्ष तक के सदस्यों को ₹ 60000 रु० तक का लैपटॉप खरीदने का आदेश प्राप्त हुआ है। संघ का यह प्रयास है कि जिनकी सेवा एक वर्ष से अधिक है उसे भी लैपटॉप दिया जाय।

जय संघ, जय बिहार जय भारत, संघ एकता जिन्दाबाद।

(सुशील कुमार)
महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

आय-व्ययक 01.05.2008 से 31.05.2010 तक

आय

	आरंभिक शेष		
1.	पंजाब नेशनल बैंक A/c No. 30516	:	522146.36
2.	सदस्यों से प्राप्त चन्दा	:	553467.00
3.	पुस्तक बिक्री/ प्रचार से आय	:	75950.00
4.	विश्राम गृह से आय	:	97250.00
5.	बोर्ड प्रचार से आय	:	495000.00
6.	सूद से प्राप्त आय		16028.00
7.	बैठक के लिए दी गयी राशि की वापसी	:	6000.00
	कुल योग:		**1765841.36**

व्यय

1. यात्रा/ डेलीगेशन व्यय	21277.00
2. समाचार पत्रों के विज्ञापन व्यय	30400.00
3. डाक स्टाम्प व्यय	2876.00
4. पत्राचार/लेखन सामग्री व्यय	3597.00
5. समाचार/पत्र दूरभाष व्यय	1058.50
6. कार्यकारिणी की बैठक पर व्यय	40083.00
7. कर्मचारियों का पारिश्रमिक व्यय	350798.00
8. विश्राम गृह के रख-रखाव पर व्यय	37502.00
9. मुख्यमंत्री राहत कोष में चन्दा	402000.00
10. भवन निर्माण A/c में दी गयी राशि	250000.00
11. बैंक चार्ज	82.00
12. फोटो स्टेट पर व्यय	5424.00
13. AIF को चन्दा	20000.00
14. आमसभा पर व्यय	128927.00
15. प्रशासन पत्रिका की छपाई पर व्यय	102300.00
16. अंकेक्षण पर व्यय	3000.00
17. अन्य व्यय	5000.00
18. रोकड़ अंत शेष	
पंजाब नेशन बैंक	361516.00
कुल योग:	**1765841.36**

रोकड़ अंत शेष- 31.054.2010 को 361516.36 पी॰एन॰बी॰ खाता संख्या- 29100001000 30516 में जमा।

भवन निर्माण मद

आय

	आरंभिक शेष	
1.	पंजाब नेशनल बैंक A/c No. 30516	22114.15
2.	सूद से प्राप्त आय	250000.00
3.	सूद से प्राप्त आय	18852.00
	कुल योग:	**290966.15**

व्यय

1. संघ भवन का सुदृढ़ीकरण	31960.00
2. उपलब्ध नगद राशि	10000.00
रोकड़ अंत शेष	
3. पंजाब नेशल बैंक	249006.15
कुल योग:	**290966.15**

रोकड़ अंत शेष- 31.05.2010 को 249006.15 पी॰एन॰बी॰ खाता सं॰- 29100001000 30376 में जमा।

कल्याण मद

आय

1.	आरंभिक शेष पंजाब नेशनल बैंक A/c No.30516	56710.00
2.	सदस्यों से प्राप्त चन्दा	857300.00
3.	सूद से प्राप्त आय	14821.00
	कुल योग:	**928831.90**

व्यय

1. श्रीमती पूजा मिश्रा, पत्नी स्व. अरविन्द कुमार मिश्रा (बि.प्र.से.)को दी गयी राशि	750000.00
2. सामान्य कोष से वापसी	1500.00
रोकड़ अंत शेष	
पंजाब नेशनल बैंक	177331.90
कुल योग:	**928831.90**

रोकड़ अंत शेष- 31.05.2010 को 177331.90 पी॰एन॰बी॰ खाता सं॰- 29100001000 30507 में जमा।

सांस्कृतिक मद

आय

1.	आरंभिक शेष पंजाब नेशनल बैंक A/c No. 10165937451	8384.12
2.	सूद से प्राप्त आय	603.00
	कुल योग:	**8987.12**

व्यय

1. अंत शेष - स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	8987.12
कुल योग:	**8987.12**

रोकड़ अंत शेष- 31.05.2010 को 8987.12 एस॰बी॰आई॰, कदमकुआँ खाता सं॰- 10165937415 में जमा।

(चन्द्रशेखर सिंह)
कोषाध्यक्ष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

आय–व्ययक 01.06.2010 से 30.11.2011 तक

आय		व्यय	
आरंभिक शेष			
1. पंजाब नेशनल बैंक A/c No. 30516 :	361516.86	1. यात्रा/ डेलीगेशन व्यय	16756.00
2. सदस्यों से प्राप्त चन्दा :	49300.00	2. समाचार पत्रों के विज्ञापन व्यय	110775.00
3. पुस्तक बिक्री/ प्रचार से आय :	36875.00	3. डाक स्टाम्प व्यय	113.00
4. विश्राम गृह से आय :	76900.00	4. पत्राचार/लेखन सामग्री व्यय	358.00
5. बोर्ड प्रचार से आय :	525000.00	5. समाचार/पत्र दूरभाष व्यय	109.00
6. सूद से प्राप्त आय	19995.00	6. कार्यकारिणी की बैठक पर व्यय	24960.00
7. बैठक के लिए दी गयी राशि की वापसी :	19200.00	7. कर्मचारियों का पारिश्रमिक व्यय	419417.00
8. श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह से अग्रिम प्राप्त किया गया :	640.00	8. विश्राम गृह के रख-रखाव पर व्यय	15233.00
		9. कन्वेयंस	15.00
		10. अंकेक्षण पर व्यय	3000.00
		11. फोटो स्टेट पर व्यय	2957.00
		12. AIF को चन्दा	10000.00
		13. आमसभा पर व्यय	111314.00
		14. प्रशासन पत्रिका की छपाई पर व्यय	66957.00
		15. रोकड़ अंत शेष	
		पंजाब नेशन बैंक	307462.86
कुल योग:	1089426.86	कुल योग:	1089426.86

भवन निर्माण मद

आय		व्यय	
आरंभिक शेष			
1. कैश इन हैण्ड	10000.00	1. संघ भवन का सुदृढ़ीकरण	38056.00
2. पंजाब नेशनल बैंक A/c No. 30376	249006.15	2. फर्नीचर	44500.00
		3. मजदूरी	463700.00
3. सूद से प्राप्त आय	9444.00	4. सदस्य रामजतन प्रसाद को भुगतान	25000.00
		रोकड़ अंत शेष	
		5. पंजाब नेशल बैंक	114524.15
कुल योग:	268450.15	कुल योग:	268450.15

कल्याण मद

आय		व्यय	
1. आरंभिक शेष पंजाब नेशनल बैंक A/c No.30507	177331.90	1. सदस्या नाजिया तरन्नुम को भुगतान	105000.00
2. सूद से प्राप्त आय	6537.00	रोकड़ अंत शेष	
		2. पंजाब नेशनल बैंक	78868.90
कुल योग:	183868.90	कुल योग:	183868.90

सांस्कृतिक मद

आय		व्यय	
1. आरंभिक शेष स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया A/c No. 10165937451	8987.12	1. बैंक चार्ज	575.00
		अंत शेष -	
2. सूद से प्राप्त आय	471.00	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	8883.12
कुल योग:	9458.12	कुल योग:	9458.12

(चन्द्रशेखर सिंह)
कोषाध्यक्ष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633 / 2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

ध्यक्ष,
✱ सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
✱ खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष ✱ किशोरी पासवान
✱ कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव ✱ अतुल कुमार वर्मा
✱ कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष ✱ मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष ✱ मृणायक दास

पत्रांक ......18.............

दिनांक 12-8-2018

दिनांक– 12.08.2018 को हुई केन्द्रीय कार्यकारिणी के बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

बैठक में सर्वप्रथम SGRY मामले पर चर्चा की गई। सदस्यों को बताया गया कि SGRY मामले में जस्टिस उदय सिन्हा के अध्यक्षता में गठित आयोग का प्रतिवेदन सरकार को समर्पित हो चुका है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि बिहार प्रशासनिक सेवा के मात्र तीन पदाधिकारियों पर कुछ टिप्पणियॉ की गई है। शेष पदाधिकारियों के लिए यह खुशी की बात है कि लगभग 500 पदाधिकारी इस मामले में निर्दोष पाये गये। यह ऐतिहासिक पल संघ के प्रयास से हुआ है। संघ के सभी सदस्यों को इसके लिए बधाई दी गई। जहॉ तक दो–तीन सदस्यों की बात है संघ को उम्मीद है कि वो भी इसमें सफलता पायेंगे।

2. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन पर चर्चा की गई। सदस्यों को बताया गया कि "11 से 18 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बावजूद एक भी प्रोन्नति नहीं हुई है जबकि पॉच वर्ष पर पहली प्रोन्नति होनी चाहिए।

सामान्य प्रशासन के संकल्प ज्ञापांक– 942, दिनांक– 28.01.2010 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन तथा सेवा संवर्ग की संख्या और संरचना का निर्धारण किया गया, जिसमें पदों की संख्या 2878 से घटाकर 851 की गई थी। जिसके फलस्वरूप प्रोन्नति में रूकावट उत्पन्न हो गई। संघ द्वारा सरकार से बार–बार मॉग की गई कि गैर संवर्गीय पदों, जिस पर पदस्थापन की जा रही है, के विरूद्ध प्रोन्नति दी जाय ताकि प्रोन्नति में Stagnation खत्म हो सके। दिनांक– 29.12.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिया गया कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग संरचना की पुनः समीक्षा की जाय तथा संवर्ग की पुर्नसंरचना हेतु कार्रवाई की जाय। तदोपरान्त सामान्य प्रशासन के

संकल्प ज्ञापांक– 7118, दिनांक– 03.05.2018 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन में पदों की संख्या और संरचना का निर्धारण किया गया जिसमें पदों की संख्या बढ़ा कर 1634 की गई ताकि प्रोन्नति में Stagnation समाप्त हो सके। संघ इसके लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है एवं आशा करता है कि बढ़े हुए पदों के विरूद्ध प्रोन्नति शीघ्रता से प्रदान की जाएगी।

3. चावल/धान अधिप्राप्ति मामले में सदस्यों का न्यायिक मामले की जानकारी दी गई। बताया गया कि नये मुख्य सचिव को इस संदर्भ में वार्त्ता कर जानकारी दी जाएगी। संघ न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यों पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने देने का प्रयास कर रही है।

4. कोषाध्यक्ष द्वारा संघ के आय–व्यय पर विस्तृत चर्चा की गई। दिनांक– 01.06.2017 से 31.03.2018 तक अंकेक्षण किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

5. संघ के सदस्यों का वार्षिक चन्दा पर चर्चा की गई। दिनांक– 14.06.2009 को हुई कार्यकारिणी की बैठक में वार्षिक चन्दा 100 से बढ़ाकर 200 रूपया की गई थी। विचारोंपरान्त By Law के कंडिका– 2(ii)(a) के आलोक में सदस्यों का वार्षिक चन्दा 1000 रूपया प्रतिवर्ष करने पर निर्णय लिया गया।

6.(A) सदस्यों को बताया गया कि दिनांक– 25.12.2011 को आमसभा में निम्न संशोधन किये गये :–

(i) By Law के कंडिका– 3(b) के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी का गठन एक वर्ष के लिए होना है। पूर्व में कोई भी आम सभा एक वर्ष में नहीं हुई है। ऐसे भी किसी भी कार्यकारिणी के लिए एक वर्ष का समय बहुत कम होता है। इस परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा दिनांक– 26.12.2010 की बैठक में कंडिका– 8 में यह निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी जाय।

(ii) By Law के कंडिका– 5(a) एवं (b) के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी की संख्या 27 के अतिरिक्त 5(c) के अनुसार सभी अनुमंडल/जिला/प्रमण्डल ईकाई के अध्यक्ष/सचिव पदेन सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष आमंत्रित के रूप में अनेक सदस्य को मनोनीत किया जाता है परन्तु सूचना निर्गत होने के बाद भी कार्यकारिणी की पूर्व के वर्षों में हुई बैठक में मात्र 10–15 सदस्यों तक ही उपस्थिति हो पाती है। उपस्थिति अधिक होने के लिए कार्यकारिणी की बैठक दिनांक– 16.10.2011 कंडिका (2) में यह निर्णय लिया गया कि पटना मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाय।

6.(B) पुनः बताया गया कि दिनांक– 16.07.2017 को हुई आम सभा में निम्न संशोधन किये गयेः–

(i) BASA By Law के कंडिका– 2(ii) (b) में वर्णित है कि The Subscription for life membership shall be Rs. 1000/- (One Thousand) or as decided by the central executive committee from time to time. इसे बढ़ाकर 5000/– करने का निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिनांक– 22.12.2013 में लिया गया।

दिनांक– 18.12.2016 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह चर्चा हुई कि "Life time जो Working Member है उन्हें ही Membership देना होता है इसमें आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया कि Life Time Membership सेवानिवृत पदाधिकारी, BAS से IAS में प्रोन्नत पदाधिकारी एवं तदोंपरान्त सेवानिवृत पदाधिकारी Life time Membership दे सकते है। जिन्हें विशेष आयोजन पर आमंत्रित किया जा सके।

(ii) दिनांक– 13.12.2015 का कंडिका– (4) केन्द्रीय कार्यकारिणी में सेवानिवृत संघ के पदधारक या संघ को स्वेच्छा से सेवा देने वाले पदाधिकारी को सम्मानित/संघरक्षक सदस्य रूप में रखने पर विचार किया गया।

तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

12/8/18

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

12/8/18

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :– केन्द्रीय कार्यकारणी के सभी सदस्य/सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/सभी आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव, सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

12/8/18

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव